कार्यालय, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना

डाण्डा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून –248001
ई–मेलः ayushmanuttarakhand@gmail.com

पत्रांक– अ0आ0उ0यो0/2019–20/ 369 दिनांकः 16 जुलाई 2019

अली नर्सिंग होम, काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर को निर्गत "कारण बताओ नोटिस" के सम्बन्ध में प्राप्त उत्तर के क्रम में प्रकरण के निस्तारण के सम्बन्ध में आदेश

अली नर्सिंग होम, अलीखान चौक, काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर को कतिपय आरोपों के सम्बन्ध में पत्रांक अ0आ0उ0यो0/2019–20/223 दिनांक 01 जून 2019 को "कारण बताओ नोटिस" दिया गया। अली नर्सिंग होम, काशीपुर के संचालक डा0 मोहमदद् अकबर अली द्वारा दिनांक 17 जून 2019 को "कारण बताओ नोटिस" का उत्तर दिया गया। अली नर्सिंग होम द्वारा दिये गए उत्तर का अध्ययन एवं परीक्षण करने के उपरांत लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में विश्लेषण/निष्कर्ष निम्न प्रकार हैंः–

1. आरोप संख्याः 1– अली नर्सिंग होम पर प्रथम आरोप यह है कि 13 मरीजों का ईलाज अस्पताल द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC), केलाखेड़ा, बाजपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा निर्गत रेफरल स्लिप्स के आधार पर किया गया। PHC केलाखेड़ा द्वारा निर्गत रेफरल स्लिप्स निम्न कारणों से वैध रेफरल स्लिप्स नहीं हैंः–
   i. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC), केलाखेड़ा द्वारा निर्गत 13 रेफरल्स (जिनके मरीजों द्वारा अली नर्सिंग होम में ईलाज कराया गया है) में सभी पर "Medical Officer, PHC, Kelakhera(US Nagar)" की फर्जी मोहर लगायी गई है, क्योंकि PHC, केलाखेड़ा में कोई भी Medical Officer तैनात नहीं है।
   ii. PHC, केलाखेड़ा के सभी 13 रेफरल्स फार्मासिस्ट श्री अनुराग रावत द्वारा अपने हस्ताक्षर से निर्गत किये गये हैं, जो रेफरल निर्गत करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में स्थापित व्यवस्था (Established practice) के अनुसार रेफरल Medical Officer द्वारा ही निर्गत किया जाता है। अतः निर्गत किये गए सभी 13 रेफरल्स अनधिकृत हैं।
   iii. PHC, केलाखेड़ा द्वारा निर्गत रेफरल्स में स्थापित व्यवस्था के विरुद्ध कार्य करते हुए रेफरल में अस्पताल का नाम (अली नर्सिंग होम) भी इंगित किया गया है।

16.07.19

यही नहीं निजी चिकित्सालय को उसकी मोहर " ALI NURSING HOME, Ali Khan Chowk, Kashipur(US Nagar)" लगा कर रेफरल स्लिप्स निर्गत की गईं हैं।

iv. अली नर्सिंग होम ने सभी रेफरल स्लिप्स को क्लेम प्राप्त करने हेतु अपलोड किया गया है। इन अपलोड की गईं 13 रेफरल स्लिप्स में सभी मरीज काशीपुर के निवासी हैं तथा काशीपुर से केलाखेड़ा की दूरी लगभग 30 कि0मी0 है।

आरोप संख्या 1 का प्रतिउत्तर–

अली नर्सिंग होम द्वारा कारण बताओ नोटिस के प्रतिउत्तर में यह कहा गया है कि मरीज स्वयं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलाखेड़ा से रेफरल बनवा कर लाये थे। निर्गत रेफरल पर किसके हस्ताक्षर हैं और किसने मोहर लगायी है, इसकी जानकारी अली नर्सिंग होम को नहीं थी। यह विषय सरकारी अस्पताल, केलाखेड़ा और राज्य सरकार का है। रेफरल स्लिप बनवाने के लिए मरीज काशीपुर में ही एल0डी0भट्ट राजकीय ऐलोपैथिक चिकित्सालय गये, वहाँ इन्कार करने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलाखेड़ा से रेफरल स्लिप बनवाकर लाने लगे। जब मरीज अपना रेफरल बनवाकर अली नर्सिंग होम, काशीपुर में ईलाज कराने आये , तब आरोग्य मित्र ने सभी रेफरलों पर अज्ञानता के कारण " ALI NURSING HOME, Ali Khan Chowk, Kashipur(US Nagar)" की मोहर लगा दी। भविष्य में ऐसा नहीं होगा।

आरोप संख्याः 1– विश्लेषण एवं निष्कर्ष

अली नर्सिंग होम द्वारा आरोप संख्या 01 के संबंध में दिये गये उत्तर का अध्ययन एवं परीक्षण किया गया। यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि काशीपुर में निवासरत 13 मरीजों द्वारा काशीपुर से 30 कि0मी0 दूर केलाखेड़ा से रेफरल बनवाये गये, जबकि काशीपुर में ही राजकीय अस्पताल है। काशीपुर स्थित राजकीय एल0डी0भट्ट चिकित्सालय एक Sub District Hospital(SDH) है तथा वहाँ अनेक Doctors कार्यरत हैं। इन 13 मरीजों (जो कि General medicine से संबंधित साधारण बीमारियों के रोगी हैं) का ईलाज काशीपुर के राजकीय एल0डी0भट्ट चिकित्सालय में ही आसानी से हो सकता था, इसलिए ही राजकीय एल0डी0भट्ट चिकित्सालय, काशीपुर द्वारा रेफरल नहीं दिया गया।

16.07.19

अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत यदि राजकीय चिकित्सालय द्वारा ईलाज किया जा सकता है, तो उस दशा में मरीज को प्राईवेट अस्पताल में रेफर नहीं किया जाता है। यह स्वीकार योग्य नहीं है कि काशीपुर में राजकीय एल0डी0भट्ट चिकित्सालय विद्यमान होते हुए भी मरीजों द्वारा 30 कि0मी0 दूर जाकर रेफरल लाकर काशीपुर में अली नर्सिंग होम, जिसमें मात्र 12 beds हैं तथा कोई भी Round the clock MBBS Duty Doctor उपलब्ध नहीं है (जिसका वर्णन आगे आरोप संख्या –5 के अंतर्गत विस्तार से किया गया है) से ईलाज कराया जाये। ऐसी दशा में, ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से, जो कि 30 कि0मी0 दूर है तथा जहाँ Medical Doctor भी तैनात नहीं है, फार्मासिस्ट (जो की रेफरल निर्गत करने के लिए अधिकृत नहीं है) के हस्ताक्षर से Medical Doctor की फर्जी मोहर लगा कर रेफरल के आधार पर अली नर्सिंग होम में ईलाज कराना न केवल अस्वाभाविक है, वरन यह देखते हुए कि रेफरल स्लिप्स पर अली नर्सिंग होम की मोहर लगी हुई है, PHC के फार्मासिस्ट श्री अनुराग रावत तथा अली नर्सिंग होम द्वारा दुरभि संधि, धोखाधड़ी तथा दस्तावेजों की कूटरचना करके आपराधिक कृत्य भी किया जाना प्रतीत होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलाखेड़ा के द्वारा आस्था हॉस्पिटल, काशीपुर तथा जनसेवा हॉस्पिटल, काशीपुर के मामलों में राज्य स्वास्थ्य अभिकरण द्वारा श्री अनुराग रावत, फार्मासिस्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलाखेड़ा के विरुद्ध दिनांक क्रमशः दिनांक 13 मई 2019 तथा 16 जुलाई 2019 को प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस स्टेशन, काशीपुर में दर्ज करायी जा चुकी है। ऐसे में आपराधिक कृत्यों की दुरभि संधि में अली नर्सिंग होम के संचालक डा0 मोहम्मद अकबर अली के शामिल होने से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलाखेड़ा के फार्मासिस्ट श्री अनुराग रावत द्वारा अली नर्सिंग होम के साथ दुरभि संधि करके आपराधिक कृत्य किये जाने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की कार्रवाई भी अलग से की जायेगी।

अभिलेखों का अध्ययन एवं परीक्षण करने तथा आरोप संख्या 01 के संबंध में अली नर्सिंग होम द्वारा दिये गए उत्तर पर सम्यक् विचारोपरांत यह स्पष्ट होता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलाखेड़ा द्वारा निर्गत 13 रेफरल्स वैध रेफरल्स नहीं है। अतः आरोप संख्या 01 सिद्ध होता है तथा ऐसे रेफरल्स के आधार पर अस्पताल द्वारा दिये गए क्लेम्स अनुमन्य नहीं हो सकते हैं।

16.07.19

2. <u>आरोप संख्या 02, 03 तथा 04 एवं उनके संबंध में प्राप्त प्रतिउत्तर तथा प्रतिउत्तर का विश्लेषण एवं निष्कर्ष</u>

इन आरोपों में अली नर्सिंग होम पर मुख्य रुप से यह आरोप लगाया गया है कि मरीजों को 06 दिन भर्ती रखा गया है। किंतु उनके ईलाज के लिए अस्पताल में भर्ती की संपूर्ण अवधि तथा भर्ती से पूर्व 07 दिन में कोई जाँच/परीक्षण नहीं किये गए हैं, जो अली नर्सिंग होम द्वारा की गई चिकित्सा /उपचार पर पूर्णरुप से प्रश्नचिन्ह लगा देता है। अली नर्सिंग होम द्वारा अपने प्रतिउत्तर में यह कहा गया है कि कारण बताओ नोटिस में इस प्रकार के जिन केसेस की संख्या दी गई है वह सही नहीं है। उत्तर में दिये गए इस स्पष्टीकरण का कियान्वयन सहायता एजेंसी से प्राप्त अभिलेखों के आधार पर पुनः परीक्षण किया गया। परीक्षण के उपरांत यह पाया गया कि निम्न सारिणी के अनुसार 06 केसेस ऐसे हैं जिनमें अस्पताल में भर्ती की संपूर्ण अवधि तथा भर्ती से पूर्व 07 दिन में कोई जाँच/परीक्षण नहीं किया गया है।

S.No.	Case No.	Diagnosis	Hospitalization Period (in Days)	Claimed Amount (in Rs)	Admission Type	DOA	DOD	Pre-hospitalisation Investigations		Investigations During Hospitalisation		Paid/Unpaid
								Date of Investigations	Type of Investigations	Date of Investigations	Type of Investigations	
1	CASE/HOSP5P0290 7/E4469	Enteric Fever	5 days	9000	E	31-Jan	05-Feb	12-Jan	CBC, USG, HB, Widal	Nil	Nil	Paid
2	CASE/HOSP5P0290 7/S6944	Acute Gastro enteritis with Dehydration	5 days	9000	E	11-Feb	16-Feb	02-Feb	CBC,Widal,USG Abd	NIL	NIL	Paid
3	CASE/HOSP5P0290 7/S4901	Pyrexia of unknown Origin	5 days	9000	E	02-Feb	07-Feb	18-Jan	CBC,Widal	NIL	NIL	Paid
4	CASE/HOSP5P0290 7/D11760	Enteric Fever	5 days	9000	P	27-Feb	04-Mar	18 & 20 Feb	CBC,Widal,USG Abd.X-ray Chest	NIL	NIL	Paid
5	CASE/HOSP5P0290 7/D7425	Pneumonia	5 days	9000	E	13-Feb	18-Feb	06-Feb	Sr. Creatinine, SGOT,SGPT,Widal,CBC, X Ray	NIL	NIL	Paid
6	CASE/HOSP5P0290 7/E906	Enteric Fever	5 days	9000	P	01-Jan	06-Jan	24, 25 Dec 2018	CBC,MP,Widal	NIL	NIL	Paid

इन 06 मामलों में मरीजों की अस्पताल में भर्ती के दौरान एवं उससे पूर्व 07 दिनों तक कोई जाँच/परीक्षण नहीं किया जाना अली नर्सिंग होम द्वारा स्वीकार किया गया है।

अली नर्सिंग होम द्वारा इन 06 मरीजों को कुल 05 दिन अस्पताल में भर्ती रखा गया है। इनमें से 03 मरीजों को इमरजेंसी में भर्ती किया गया है। अस्पताल में भर्ती रखे जाने की संपूर्ण अवधि में कोई जाँच/परीक्षण न किया जाना और साथ ही भर्ती से पूर्व 07 दिनों में भी कोई जाँच/परीक्षण न किया जाना संपूर्ण उपचार को संदिग्ध बना देता है। उक्त 06 मामलों में से क्रम संख्या 03 में अंकित केस में भर्ती होने की तिथि से 15 दिन पूर्व की जाँच/परीक्षण का उपयोग किया गया है। इसी प्रकार क्रम संख्या 01 पर

16.07.19

अंकित केस में 19 दिन पूर्व की गई जाँच/परीक्षण का उपयोग किया गया है। अतः पुरानी जाँचों के आधार पर उक्त 06 मरीजों को 05 दिन अस्पताल में भर्ती रखा जाना और भर्ती के दौरान कोई जाँच/परीक्षण न किया जाना अत्यंत आश्चर्यजनक है। न केवल उपचार की गुणवत्ता की दृष्टि से यह अनुचित है वरन् बिना जाँच/परीक्षण किये पैकेज की संपूर्ण धनराशि का क्लेम किया जाना धोखाधड़ी करके अवैधानिक क्लेम लिये जाने का प्रयास है।

उक्त 06 केसेस का परीक्षण करने पर यह भी विदित होता है कि जब मरीज अस्पताल में भर्ती हुए और उनको चिकित्सक द्वारा जिन जाँच/परीक्षण को कराये जाने के लिए सलाह दी गई, उनमें से कई जाँच/परीक्षण नहीं कराए गए। यह तथ्य मरीजों का समुचित रुप से उपचार किये जाने पर प्रश्नचिन्ह लगा देता है।

उक्त 06 केसेस का परीक्षण करने पर यह भी विदित हुआ कि मात्र पुरानी जाँचों/परीक्षणों के आधार पर उपचार किया गया है जबकि अस्पताल में भर्ती होने की तिथि तक काफी समय व्यतीत हो चुका था एवं वह जाँचें अप्रासंगिक हो चुकी थीं एवं ऐसी जाँचों/परीक्षण को दोबारा कराये जाये बिना मरीजों का समुचित ईलाज नहीं हो सकता था। इस प्रकार अली नर्सिंग होम द्वारा मरीजों का अत्यंत लापरवाही पूर्वक उपचार किया गया है। यह स्थिति अत्यंत संदेहास्पद भी है और ऐसा प्रतीत होता है कि फर्जी दस्तावेज तैयार करके मरीजों का उपचार किया गया है।

परीक्षण करने पर यह भी विदित हुआ कि क्रम संख्या 06 पर अंकित मरीज अस्पताल में दिनांक 01 जनवरी से 06 जनवरी 2019 तक भर्ती रहा किंतु treating Doctor द्वारा उन्हें मात्र 01 दिन दिनांक 01 जनवरी 2019 को देखा गया और फिर दिनांक 06 जनवरी 2019 को मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया।

अली नर्सिंग होम द्वारा अपने प्रतिउत्तर में यह स्वीकार किया गया है कि इन मरीजों का पुरानी जाँच/परीक्षण रिर्पोटों के आधार पर उपचार किया गया है किंतु अपने स्पष्टीकरण में उन्होंने यह बताया है कि भर्ती होने से पहले मरीजों ने सरकारी अस्पताल से रेफरल बनाने का प्रयास किया। रेफरल न बनने पर मरीज ने दूसरे अस्पताल से ईलाज कराया। अभिलेखों का परीक्षण करने से यह विदित होता है कि अली नर्सिंग होम द्वारा दिया गया यह स्पष्टीकरण असत्य है, क्योंकि उक्त सभी 06 मामलों में मरीजों की जो जाँच/परीक्षण रिर्पोट्स हैं जोकि अस्पताल में भर्ती होने की तिथि से 08

16.07.19

दिन से लेकर 19 दिन तक की हैं और जो जाँच/परीक्षण सहारा डायग्नोस्टिक, काशीपुर द्वारा की गई हैं, उनमें स्पष्ट रुप से यह अंकित है कि यह जाँच/परीक्षण अली नर्सिंग होम द्वारा रेफर करने के आधार पर की गई हैं। अतः अली नर्सिंग होम द्वारा दिया गया यह स्पष्टीकरण कि मरीजों द्वारा और अस्पतालों में भी ईलाज कराया गया और वे बाद में अली नर्सिंग होम में उपचार हेतु भर्ती हुए, पूर्णतः false कथन है और अली नर्सिंग होम द्वारा यह कृत्य अवैधानिक क्लेम प्राप्त करने हेतु किया गया है।

उक्त विवरण के आधार पर अली नर्सिंग होम द्वारा धोखाधड़ी करके अवैधानिक क्लेम किये जाने हेतु जो आपराधिक कृत्य किया है उसके संबध में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराके पृथक से कार्रवाई की जायेगी। जहाँ तक अटल आयुष्मान उततराखण्ड योजना के अंतर्गत उक्त 06 केसेस में क्लेम किये जाने का विषय है, अली नर्सिंग होम को इन क्लेम्स का भुगतान अनुमन्य नहीं किया जा सकता है। अली नर्सिंग होम को उक्त 06 मामलों में न केवल क्लेम अनुमन्य नहीं हैं वरन् उनके द्वारा इन केसेस में मरीजों को 05 दिन अनावश्यक रुप से भर्ती रखा गया है और यह स्पष्ट होता है कि उनके साथ किये गए अनुबंध के annexure 06 के प्राविधानों के अनुसार इन 06 केसेस में किये गए उपचार unnecessary procedure की श्रेणी में आते हैं। अतः अली नर्सिंग होम पर अनुबंध के प्राविधानों के अनुसार अर्थदण्ड लगाये जाने का भी औचित्य है।

3. <u>आरोप संख्या 5 एवं उसका प्रतिउत्तर तथा प्रतिउत्तर का विश्लेषण एवं निष्कर्ष</u>

आरोप संख्या 05 में अली नर्सिंग होम पर मुख्य आरोप यह है कि इस अस्पताल में "MBBS Duty Doctor" के रुप में कोई भी Round the clock doctor उपलब्ध नहीं है।

अली नर्सिंग होम द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह बताया गया है कि डा0 बसन्त कुमार डालमिया, अली नर्सिंग होम में 24 घंटे अपनी सेवाएँ देते हैं। अली नर्सिंग होम द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में डा0 बसन्त कुमार डालमिया द्वारा 31 जनवरी 2019 को दिये गये घोषणा–पत्र का उल्लेख किया गया है। इस घोषणा–पत्र में डा0 बसन्त कुमार डालमिया द्वारा पैरा 10.5 में निम्न घोषणा की गई है:–

16.07.19

DECLARATION

"I am working INHOUSE Doctor/CONSULTANT for ALI NURSING HOME HOSPITAL. I have given my consent to hospital authorities in delivering my professional services round the clock to AB-NHPM beneficiaries."

यह घोषणा–पत्र डा0 बसन्त कुमार डालमिया द्वारा हस्ताक्षरित है तथा साथ ही संयुक्त रुप से यह अली नर्सिंग होम के संचालक डा0 एम0एम0ए0 चौधरी द्वारा भी हस्ताक्षरित है।

राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA) की कियान्वयन सहायता एजेंसी (Implementation Support Agency- ISA) के अभिलेखों के अनुसार अली नर्सिंग होम का यह कथन पूर्ण रुप से असत्य है कि अली नर्सिंग होम में डा0 बसन्त कुमार डालमिया 24 घंटे अपनी सेवाएँ देते हैं।

डा0 बसन्त कुमार डालमिया, अली नर्सिंग होम में Treating Doctor अवश्य हैं, किंतु महत्वपूर्ण तथ्य एवं सत्यता यह है कि डा0 बसन्त कुमार डालमिया, अली नर्सिंग होम के अतिरिक्त, निम्न अस्पतालों में भी कार्यरत हैं:–

1. **जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल, जसपुर**। यह हॉस्पिटल अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध (empanelled) है। जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल की अली नर्सिंग होम से दूरी लगभग 16 कि0मी0 है। अतः डा0 बसन्त कुमार डालमिया, अली नर्सिंग होम तथा उससे 16 कि0मी0 दूर जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल में भी कार्यरत हैं। डा0 बसन्त कुमार डालमिया द्वारा जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल में 27 केसेस में treating doctor के रुप में कार्य किया गया है, जो ISA के अभिलेखों से सिद्ध है।
2- डा0 बसन्त कुमार डालमिया, अली नर्सिंग होम तथा जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल के अतिरिक्त **Sanjivani Multi Speciality Hospital, काशीपुर** में भी कार्यरत हैं। इस प्रकार डा0 बसन्त कुमार डालमिया, न केवल अली नर्सिंग होम तथा जसपुर मेट्रो हॉस्पिटल में भी कार्यरत हैं, वरन् डा0 बसन्त कुमार डालमिया Sanjivani Multi Speciality Hospital, में भी treating doctor हैं। डा0 बसन्त कुमार डालमिया द्वारा Sanjivani Multi Speciality Hospital, काशीपुर में 28 केसेस में treating doctor के रुप में कार्य किया गया है, जो ISA के अभिलेखों से सिद्ध है।

डा0 बसन्त कुमार डालमिया 03 अस्पतालों में कार्य कर रहे हैं, 02 अस्पताल काशीपुर में हैं तथा 01 अस्पताल, जसपुर में काशीपुर से 16 कि0मी0 दूर है, किंतु

16.07.19

फिर भी अली नर्सिंग होम द्वारा अपने उत्तर में यह स्पष्टीकरण दिया है कि डा0 बसन्त कुमार डालमिया, अली नर्सिंग होम में 24 घंटे कार्यरत हैं। यह न केवल पूर्णतया false statement है, वरन् धोखाधड़ी (fraud) करके अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना से अवैधानिक क्लेम लिये जाने का आपराधिक कृत्य भी है।

अली नर्सिंग होम द्वारा सूचीबद्धता हेतु दिये गए आवेदन–पत्र में निम्न 03 चिकित्सक दर्शाये गये हैं:–

i. डा0 मनेश कुमार
ii. डा0 एस0के0 खन्ना
iii. डा0 एम0एम0ए0 चौधरी

कारण बताओ नोटिस के उत्तर में अली नर्सिंग होम द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि डा0 मनेश कुमार द्वारा दिनांक जनवरी 2019 में केवल 02 मरीजों का ईलाज किया गया है। उसके पश्चात् उनके द्वारा कोई ईलाज नहीं किया गया है। अतः डा0 मनेश कुमार अली नर्सिंग होम में कार्यरत नहीं हैं।

डा0 एस0के0 खन्ना के संबंध में कारण बताओ नोटिस के उत्तर में यह बताया है कि वे अली नर्सिंग होम में विजिटिंग सेवायें देते हैं। वे आज भी अस्पताल से जुड़े हैं। अतः अली नर्सिंग होम द्वारा अपने उत्तर में यह स्वीकार किया गया है कि डा0 एस0के0 खन्ना अली नर्सिंग होम में पूर्णकालिक डाक्टर नहीं हैं तथा वे अस्पताल में duty doctor के रुप में Round the clock उपलब्ध डाक्टर नहीं हैं।

अली नर्सिंग होम द्वारा सूचीबद्धता हेतु दिये गये आवेदन पत्र में तीसरे डाक्टर के रूप में डा0 एम0ए0ए0 चौधरी का नाम इंगित किया गया है। अभिलेखों के परीक्षण से विदित हुआ है कि डा0 चौधरी एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक नहीं हैं। डा0 चौधरी आर्युवेदिक चिकित्सक हैं। डा0 चौधरी BAMS (LMB) है तथा इनका रजिस्ट्रेशन नम्बर 43706 है। अली नर्सिंग होम द्वारा अपने उत्तर में यह कहा गया है कि डा0 चौधरी अली नर्सिंग होम में 24 घण्टे अपनी सेवायें देते हैं। अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना में किये गये अनुबन्ध, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण (NHA) तथा राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA) की गाइडलाइन्स के अनुसार केवल एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक ही कार्यरत हो सकते हैं। अतः डा0 चौधरी जो कि आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, का नाम सूचीबद्धता हेतु आवेदन पत्र में दिया जाना न केवल गाइडलाइन्स तथा अनुबन्ध का उल्लंघन है वरन् यह

धोखाधड़ी (Fraud) द्वारा अली नर्सिंग होम को सूचीबद्ध कराने का आपराधिक कृत्य भी है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण (NHA) भारत सरकार द्वारा निर्गत की गयी "Guidelines on Process of Empanelment for Hospital" के Annexure -01, जिसमें सूचीबद्धता (Empanelment) की अनिवार्य शर्तों का उल्लेख किया गया है, में यह निर्धारित है कि "hospital applying for empanelment should have adequate MBBS doctors physically in charge round the clock."

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि "The Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010 के अन्तर्गत "National Council for Clinical Establishments" द्वारा बनाये गये न्यूनतम मानकों (minimum standards) के अनुसार अस्पताल द्वारा उपचार की प्रत्येक Speciality के लिए न्यूनतम एक "Round the Clock MBBS Duty Doctor" अस्पताल में उपलब्ध होना आवश्यक है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पताल (Empanelled Health Care provider) भारत सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण (NHA) तथा राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA) द्वारा निर्गत सभी Guidelines का पालन करने के लिए बाध्य है। इस सम्बन्ध में अनुबंध में निम्न प्राविधान है:–

"Section 8: General responsibilities and obligations of the EHCP"

"13. The EHCP agrees to follow the guidelines issued further by Department of Medical Health & Family Welfare, Uttarakhand/MoHFW/NHA/SHA for the implementation of the Atal Ayushman Uttarakhand Scheme/AB-PMJAY."

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि अली नर्सिंग होम द्वारा SHA/NHA की गाइडलाइन्स का उल्लंघन करते हुए SHA तथा अली नर्सिंग होम के मध्य हुए अनुबन्ध का उल्लंघन किया गया है। अली नर्सिंग होम में कोई भी एम0बी0बी0एस0 Duty Doctor, Round the clock उपलब्ध नहीं है। अतः यह आरोप की अली नर्सिंग होम में Round the clock MBBS Duty Doctor उपलब्ध नहीं है, पूर्णतः सिद्ध होता है।

उक्त विवरण के आधार पर यह तथ्य सामने आया है कि अली नर्सिंग होम, काशीपुर में अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध होने के लिए आवेदन पत्र भर कर जो प्रस्ताव (Proposal) दिया गया है, वह मिथ्या कथन

16.07.19

(Misrepresentation) है, क्योंकि इस आवेदन पत्र में जिन डाक्टर्स को Round the clock उपलब्ध MBBS Duty Doctors दिखाया गया है वे अली नर्सिंग होम में Round the clock MBBS Duty डाक्टर्स नहीं है। डा0 मनेश कुमार ने जनवरी 2019 में मात्र दो मरीजों का ईलाज किया है, वे अस्पताल में कार्यरत नहीं है। डा0 एम0ए0ए0 चौधरी तो एम0बी0बी0एस0 डाक्टर ही नहीं हैं। डा0 एस0के0 खन्ना डयूटी डाक्टर नहीं हैं, वे एक स्पेसियलिस्ट हैं तथा वे अली नर्सिंग होम में मात्र विजिटिंग डाक्टर हैं। डा0 बसन्त कुमार डालमिया जिनके सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस के उत्तर में यह बताया गया है कि वे 31.01.2019 से अली नर्सिंग होम में 24 घण्टे उपलब्ध हैं, पूर्णतया असत्य है, क्योंकि वे दो अन्य अस्पतालों में भी कार्यरत है। चूँकि डा0 एम0ए0 अली, संचालक अली नर्सिंग होम द्वारा जानबूझ कर गलत इरादे से योजना के अन्तर्गत अवैधानिक लाभ प्राप्त करने हेतु अली नर्सिंग होम, काशीपुर को सूचीबद्ध कराने हेतु दिये गये प्रस्ताव में मिथ्या/झूठा कथन किया गया है कि अली नर्सिंग होम में Round the clock MBBS Duty Doctor उपलब्ध हैं, अतः यह धोखाधडी (Fraud) की श्रेणी में भी आता है। अतः राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA) द्वारा उनके प्रस्ताव पर दी गयी स्वीकृति भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) के अनुसार Free Consent नहीं है तथा अली नर्सिंग होम, काशीपुर के साथ किया गया अनुबन्ध SHA के विकल्प (Option) पर शून्य (Void) है।

अली नर्सिंग होम, काशीपुर द्वारा योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध किये जाने हेतु जो प्रस्ताव दिया गया है, वह प्रस्ताव एक असम्भव कार्य को करने का प्रस्ताव है क्योंकि अली नर्सिंग होम काशीपुर में चिकित्सक के रूप में कोई भी एम0बी0बी0एस0 डाक्टर Round the Clock उपलब्ध नहीं है। भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 के अनुसार "असम्भव कार्य करने का अनुबन्ध" शून्य (Void) होने के कारण अली नर्सिंग होम, काशीपुर द्वारा जो भी क्लेम की धनराशि SHA से प्राप्त की गयी है, उसकी वसूली करने का अधिनियम के प्राविधानों अनुसार SHA को अधिकार है।

भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 के प्रासंगिक प्रविधानो का विवरण निम्न प्रकार हैं–

17. "fraud defined

"Fraud" means and includes any of the following acts committed by a party to a contract, or with his connivance, or by his

agents, with intent to deceive another party thereto or his agent, to induce him to enter into the contract;

(1) the suggestion as a fact, of that which is not true, by one who does not believe it to be true;

(2) the active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact;

(3) .....

(4) .....

(5) ....."

19. Voidability of agreements without free consent

"When consent to an agreement is caused by coercion, fraud or misrepresentation, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused....."

56. Agreement to do impossible act

"An agreement to do an act impossible in itself is void..... "

65. Obligation of person who has received advantage under void agreement, or contract that becomes void

"When an agreement is discovered to be void, or when a contract becomes void, any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it, or to make compensation for it, to the person from whom he received it."

भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 17 के अनुसार अली नर्सिंग होम, काशीपुर द्वारा धोखाधड़ी (Fraud) का कृत्य किया गया है। अतः अधिनियम की धारा 19 के अनुसार अली नर्सिंग होम, काशीपुर द्वारा सूचीबद्ध कराये जाने के प्रस्ताव पर SHA द्वारा प्रदान की गयी स्वीकृति बिना "Free Consent" के है तथा यह धोखाधड़ी पर आधारित है। परिणामस्वरूप, अली नर्सिंग होम, काशीपुर की सूचीबद्धता के सम्बन्ध में

16.07.15

अनुबन्ध अधिनियम की धारा 19 के अनुसार SHA के विकल्प (Option) पर शून्य (Void) है।

अली नर्सिंग होम, काशीपुर द्वारा Round the clock MBBS Duty Doctor की उपलब्धता बताकर ऐसे कार्य को करने का प्रस्ताव दिया गया और तत्पश्चात अनुबन्ध किया गया जो कि असम्भव है। अतः भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 56 के अनुसार अली नर्सिंग होम, काशीपुर के साथ किया गया अनुबन्ध प्रारम्भ से ही शून्य (*ab initio void*) है। ऐसी दशा में भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 65 के अनुसार अली नर्सिंग होम, काशीपुर द्वारा SHA से प्राप्त की गयी क्लेम की सम्पूर्ण धनराशि की वसूली SHA द्वारा की जानी चाहिए।

चूँकि अली नर्सिंग होम, काशीपुर द्वारा भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 17 के अन्तर्गत धोखाधड़ी का कार्य (Fraud) किया गया है तथा धारा 56 के अन्तर्गत असम्भव कार्य करने का अनुबन्ध किया गया है, अतः अली नर्सिंग होम, काशीपुर की सूचीबद्धता का अनुबन्ध शून्य (Void) है, और अधिनियम की धारा 65 के अनुसार अली नर्सिंग होम, काशीपुर से भुगतान की गयी क्लेम की सम्पूर्ण धनराशि वसूली योग्य है।

–आदेश–

अली नर्सिंग होम, अली खान चौक, काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर को आदेश संख्या अ0आ0उ0यो0/2019–20/223 दिनांक 01 जून 2019 के द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के क्रम में लगाये गये 5 आरोपों के क्रम में उनके द्वारा दिये गये प्रतिउत्तर के परीक्षण व निष्कर्ष के उपरान्त आरोप संख्या 1 तथा 5 की पुष्टि होती है। आरोप संख्या 02, 03 तथा 04 आंशिक रुप से सिद्ध होते हैं। तद्नुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण (NHA) की गाइडलाइन्स, राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA) के साथ अनुबन्ध की शर्तों के पालन न होने तथा धोखाधड़ी (Fraud) के आधार पर योजना के अन्तर्गत सूचीबद्धता (Empanelment) हेतु अनुबन्ध किये जाने को दृष्टिगत रखते हुये निम्न आदेश पारित किये जाते है–

i. अली नर्सिंग होम, काशीपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर की सूचीबद्धता तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए उसका de-empanelment किया जाता है।

16.07.19

ii. अली नर्सिंग होम, काशीपुर के कुल **77 केसों** (धनराशि **रु0 698400/–**) के क्लेम निरस्त किये जाते है।

iii. अली नर्सिंग होम, काशीपुर के कुल 77 केसेस में से 43 केसेस की धनराशि रू0 381600/– जो उनके द्वारा क्लेम की गई है और जिसका अभी भुगतान नहीं किया गया है, के क्लेम निरस्त किये जाते है।

iv. कुल 77 केसेस में से **34 केसेस** की धनराशि रू0 **316800**/– जो अली नर्सिंग होम द्वारा प्राप्त की जा चुकी है, राज्य स्वास्थ्य अभिकरण को 7 दिन में वापिस करें।

v. आरोप संख्या 02, 03 व 04 में वर्णित कुल 06 केसेस में क्लेम की गई धनराशि रु0 54000/– पर **तीन गुना दण्ड रु0 162000/–** भी लगाया जाता है।

vi. **इस आदेश के बिंदु (iv), (v) में वर्णित कुल धनराशि रू0 478800/– को अली नर्सिंग होम, काशीपुर इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 7 दिन के अंदर राज्य स्वास्थ्य अभिकरण को वापिस करना सुनिश्चित करें।**

vii. निर्धारित अवधि के अन्दर उक्त धनराशि वापिस न करने पर **नियमानुसार वसूली की कार्रवाई अमल में लायी जायेगी।**

इस आदेश को डा0 मोहम्मद अकबर अली, संचालक अली नर्सिंग होम, अली खान चौक, काशीपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर को ई–मेल से तथा रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाये।

–ह0– 16.07.19
(युगल किशोर पन्त)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण (NHA), भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, देहरादून।

16.07.19

प्रतिलिपिः–

1. Insurance Regulatory and Development Authority of India, Sy No. 115/1, Financial District, Manakramguda, Gachibowli, Hyderabad-500032 को इस अनुरोध के साथ कि वे सभी सम्बन्धित को अवगत कराने का कष्ट करें।
2. नोडल अधिकारी, आई0ई0सी0 को इस अनुरोध के साथ कि वे जन–साधारण को अली नर्सिंग होम, काशीपुर की सूचीबद्धता समाप्त होने से अवगत कराने हेतु प्रकाशनार्थ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
2. जिला अधिकारी, जनपद ऊधमसिंह नगर।
3. समस्त निदेशक, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA)।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद ऊधमसिंह नगर।
5. राज्य समन्वयक, क्रियान्वयन सहायता एजेंसी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
6. डा0 मोहम्मद अकबर अली, संचालक अली नर्सिंग होम, अली खान चौक, काशीपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर।
7. आई0टी0 सह डाटा प्रबंधक को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
8. गार्ड फाइल।

16.07.19

(डा0 अभिषेक त्रिपाठी)
निदेशक–प्रशासन
अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना